तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अपील संख्या– 116/2015 अंतर्गत धारा–76 एल.आर.एक्ट

(GCMS No. 2015/00080)

अनवानः

1. मनीराम पुत्र श्री लिछमी जाति बावरी निवासी 1 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. अमरदान पुत्र श्री लिछमी जाति बावरी निवासी 1 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार।
2. मेघराज पुत्र लिछमाराम जाति बावरी निवासी1 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर वगैरह।

5/5/2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलान्ट को रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 6 के निमित सम्मन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 05.04.2017 से लगातार पाबन्द किया जाता रहा है, किन्तु अभिभाषक अपीलान्ट को बार–बार पाबन्द किये जाने के बावजूद आदिनांक सम्मन प्रस्तुत नही किये है। अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांट को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये है। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(2) के तहत अदम तकमील में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।

(डॉ. रवि कुमार सुरपुर)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर